न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0ः–10/2018
CIS NO.-72/2019

सीता देवी एवं अन्य..वादीगण
बनाम
राजहरण यादव एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
05.08.2022	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादीगण की तरफ से दिये गये आवेदन दिनांक 10.02.2021 संबंधित आदेश 13 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल आवेदन के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 10.02.2021 में कहा गया है कि उपरोक्त वाद वादी साक्ष्य हेतु चल रहा है तथा बयनामा दस्तावेज दिनांक 17.08.2013 यद्दू यादव वगैरह बनाम ध्रुव यादव वगैरह की मूल प्रति पुराने बक्से में रहने के कारण भूलवश समय से न्यायालय में दाखिल नहीं हो सका। काफी खोजबीन करने पर पुराने बक्से में मिला जिसे दाखिल किया गया है। उक्त बयनामा दस्तावेज वाद के निर्णय हेतु आवश्यक कागजात है तथा वादपत्र के कंडिका 11 में वर्णित है। अतः वादीगण के भूल को माफ कर उपरोक्त दस्तावेज को इस वाद में उचित निर्णय करने हेतु अभिलेख पर रखने का आदेश देने की कृपा करें। प्रतिवादी सं0–01 ता 04 की ओर से वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 06.03.2021 को दाखिल कर विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदन कानुन एवं तथ्य दोनों ही दृष्टिकोण से पोषणीय नही है तथा वादीगण की ओर से जानबूझकर विलम्ब से दाखिल किया गया है। अतः आवेदन को खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों को सुना गया । अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त दस्तावेज न्याय निर्णयन हेतु आवश्यक दस्तावेज है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद का निपटारा सभी आवश्यक साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। जिससे वाद की बहुलता को रोका जा सके। वादीगण के द्वारा दस्तावेज विलंब से दिया गया है। अतः विलंब माफ करते हुए वादीगण का आवेदन मो0–200/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए उक्त वादीगण की ओर से दाखिल दस्तावेज को ग्रहण किया जाता है। आगामी दिनांक 22.09.2022 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	